समाचार-प्रकाशनार्थ:-

कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का सोमवार को होगा शुभारंभ

वार्ड वार वैसीनेशन सेन्टर पर लगेगी कोरोना वैक्सीन

18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को लगेगी वैक्सीन

रतलाम 18 जून। रतलाम नगर में शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार 21 जून सोमवार से कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरूआत की जा रही है जो 30 जून तक चलेगा।

नगर के 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त नागरिकों को बिना रजिस्ट्रेशन व स्लॉट बुकिंग के वैक्सीन लगाये जाने हेतु शहर के प्रत्येक वार्ड में वैक्सीन केन्द्र स्थापित किये गये है जिसमें प्रातः 9 बजे से कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क लगाई जायेगी।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नागरिक जिन्होने कोरोना का पहला टीका नहीं लगवाया है वे बिना रजिस्ट्रेशन व स्लॉट बुकिंग के अपने वार्ड के वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाये।

वार्डवार बनाये वैसीनेशन सेन्टरों के तहत वार्ड क्रमांक 1 कंकू मंत्रम मैरिज हाल ए गांधीनगरए वार्ड क्रमांक 2 रामकला सभागृह ए लक्ष्मणपुराए 3 राठौर समाज धर्मशाला ए जवाहर नगरए 4 महर्षि दयानदं वैदिक विद्यालय ए 5 गुरू रामदास स्कूल ए विनोबा नगरए 6 मार्निंग स्टार स्कूल ए इंदिरा नगरए 7 कम्युनिटी हाल ए अलकापुरीए 8 संत नामदेव पब्लिक स्कूल ए विनोबा नगरए 9 साई एकेडमी स्कूल 80 फीट रोड एरत्नपुरीए 10 सिंधु गूरूद्वारा ए मोहन नगरए 11 बोधी स्कूल ए डोगरे नगरए 12 सुमगं ल गार्डन ए कस्तुरबा नगरए 13 सिद्धेश्वर वाटिका ए सखवाल नगरए 14 सरस्वती स्कूल ए काटजू नगरए 15 मांगलिक भवन ए सुभाषनगरए 16 काश्यप सभागृह ए सागोद रोड़ए 17 उत्कृष्ठ स्कूल ए सागोद रोड़ए 18 शांति निकेतन ए टाटानगरए 19 राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय ए

दिनदयाल नगरए 20 सरस्वती स्कूल ए अमृतसागरए 21 नर संह वाटिका ए सलावटों का वासए 22 मानस भवन ए मोतीनगरए 23 ज्योति कान्वेन्ट स्कूल ए बालाजी नगरए 24 सब्जीफरोश जमातखाना ए सायर चबुतराए 25 सगरवंशी माली समाज धमशर्् ाालाा ए मालीकुंआए 26 संत मीरा स्कूल ए थावरिया बाजारए 27 जमातखाना ए शेरानीपुराए 28 मंाग लक भवन ए दिलीपनगरए 29 डीआरपी लाइन ए आनंद कॅालोनीए 30 काजीखान मस्जिद ए जावरा रोड़ए 31 शासकीय प्रा.स्कूल ए डोसीगॉवए 32 ऊजाला पैलस ए स्टेशन रोड़ए 33 लायसं हाल ए पावर हाउस रोड़ए 34 रंगोली ए गीता मं ि दर रोड़ए 35 मंेहदी कुई बालाजी ए नगर निगमए 36 धर्मशाला ए का लका माताए 37 लॅा कॅालजे ए आनंद कॅालोनी

38 जमातखाना ए शेरानीपुराए 39 शा.कला एवं वज्ञानए 40 कन्या वद्यालय ए कोठारी वास

41 शा. हा.से.स्कूल ए माणक चौकए 42 मोहन टाकीजए 43 माहेश्वरी धर्मशाला ए कसारा बाजार

44 बोहरा कम्युिनिटी हाल ए बोहरा बाखलए 45 जाट धर्मशाला ए सुतारो का वासए 46 आईएमए हाल ए राजेन्द ्र नगरए 47 मदरसा तालीमुल कुरआन ए नयापुरा हाट रोड़ए 48 सूरजहाल ए वेदव्यास कॅालोनीए 49 सखवाल समाज धर्मशाला ए ब्राम्हणों का वासए 50 डीआरएम आ फस ए दो बत्ती (स्पेशल कैम्प)ए 51 न्य ू कलेक्ट्ट्र ए महू रोड़ (सर्फ शासकीय कर्मचारी)ए 52 घटला रेल्वे हास्पिटल (सर्फ रेल्वे कर्मचारी व परिवार) व 53 इप्का (इप्का के कर्मचारियों के लये) पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान कये

रतलाम 18 जून। नगर निगम में ऐसे कर्मचारी जिनका सेवा में रहते निधन हो गया उनके परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने तहत नगर निगम द्वारा आज 3 व्यक्तियों की अनुकम्पा नियुक्ति

के आदेश जारी कये जारी कये गये आदेश निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा प्रदान कये गये।
निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा श्री अमर-बसंत चौहानए श्री सुनील-रामप्रसाद डागर व श्री राजेश-देवकरण को सफाई संरक्षक के पद का नियुक्ती आदेश प्रदान कर उनके उज्जवल भ वष्य की कामना की।
नियुक्ति आदेश वतरण के दौरान उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे।

2 सटी मैनेजर व 5 सामुदायिक संगठिकाओं को सेवा से
बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 18 जून। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एनयूएलएम वभाग के दो सटी मैनेजर व पांच सामुदायिक संगठिकाओं को सं वदा अनुबंध समाप्त कर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।
पथकर वक्रेताओं को सी.एम. स्वनिधी के तहत लक्ष्य अनुरूप ऋण उपलब्ध नहीं कराने तथा एसएमआईडी घटक अंतर्गत असंतोषजनक प्रगति के कारण सटी मैनेजर श्री नितिन तिवारीए श्री कपील मारोठियाए सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्तेए श्रीमती सीमा सुरो लयाए श्रीमती रेखा राठौरए श्रीमती हेमा सलावटए सुश्री निर्मला राय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।
आपदा प्रबंधन हेतु निगम द्वारा व्यापक प्रबंध
नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थलों की स्थापना
रतलाम 05 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभा वत परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे व भन्न वभागों के अ धकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् जीर्ण-शीर्ण भवनों को वर्षा ऋतु के पूर्व नोटिस देकर खतरनाक भवनों को चन्हित कया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पु लयाओं को चन्हित कर रे डयम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं ना लयों के अतिक्रमण चन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले ना लयों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण वभाग एवं कर्मशाला वभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये गये है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉलए ईश्वर नगर वद्यालय भवनए शैरानीपुरा जमातखानाए अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए धीरजशाह नगर रॉयल हॉलए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय सागोद रोड है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री वकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के सहयोग से समु चत व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वतरण के लये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लये पम्प आदि की व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समु चत निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के वनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के व भन्न क्षेत्रो में छोटे एवं बड़े नाले-ना लयों की वर्षा पूर्व समु चत सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की निय मत रूप

से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अ धकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबं धत को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्था पत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये जाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा नाले ना लयों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-ना लयों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर वद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबं धतों को दिये।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार कॉमन सेन्टरों पर निःशुल्क बनाये जा रहे है

1910 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 18 जून । आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 5 से 18 जून तक वार्डो के कॉमन स र्वस सेन्टरों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में वार्ड वार नियुक्त अ धकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कया जा रहा है। कार्ड बनाने का कार्य 5 जून को 67ए 6 जून को 208ए 7 जून को 155ए 9 जून को 261ए 11 जून को 164ए 12 जून को 84ए 13 जून को 112ए 14 जून को 222ए 15 जून को 284ए 16 जून को 192ए 17 जून को 57 व 18 जून को 104 हितग्राहियों के कार्ड बनाये गये इस तरह 14 दिनों में 1910 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जा चुके है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत

आयुष्मान कार्ड वशेष अ भयान चलाकर योजना अन्तर्गत पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड समय-सीमा में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को नोडल अ धकारी नियुक्त कया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डवार नगर निगम कर्मचारीए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताए कॉमन स र्वस सेन्टर के प्रोवाईडर के दलो का गठन कया है तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निगम के उपयंत्रीए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए को पाबंद कया गया तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की संपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह को नोडल अ धकारी नियुक्त कया गया है।

वार्डवार गठित दलों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया है क रतलाम नगर में युद्ध स्तर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाना है इस हेतु हितग्राही से कसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लया जावेए पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन कये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लये जावें।

युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले-ना लयों की सफाई का कार्य

5 नालो की सफाई का कार्य जारी

नालो की सफाई उपरांत कया जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 18 जून । वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-ना लयों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालो की सफाई उपरान्त कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा राजीव नगरए पोरवाड़ो का वासए रिद्धी- सद्धी रतलाम पब्लिक स्कूल के आगेए त्रिवेणी मुक्तिधाम के पास व दिलीप नगर फाटक वाले नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह के निर्देशन में जेसीबी मशीनए टे्रक्टर ट्रॉली व गैंग के माध्यम से कया गया व सफाई उपरान्त नालों व ना लयों में केसो लक व ब्ली चंग

कीटनाशक दवा का छिड़काव कया गया। इसके अलावा जिला च कत्सालय की बावड़ी की सफाई का कार्य करवाया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 18 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संब धतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 18 जून को 4 दुकानदारों पर जुर्माना कया गया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा चराग भण्डारी बजाज खाना पर 200ए के.के. जैनए शैलेन्द्र भण्डारी बजाज खाना व मनसुख नौलाईपुरा पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

956 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा
स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
रतलाम 18 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी

पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 18 जून तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 956 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 18 जून को नगर के व भन्न क्षेत्रों से 4 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/18ण्06ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.